

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारसीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2018 अटल सेवा केन्द्र गालाबेरी

क्र. सीडर/2018/1378

दिनांक - 20/06/18

प्रार्थी
शेराराम पुत्र कालूराम जाति जाट
नेवारी खेतावास, शिवकर तहसील व
जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण

1 पदमाराम पुत्र पन्नाराम 2 कंवराराम पुत्र हनुमानराम 3
जगनादेवी पत्नी हनुमानराम 4 रागराम पुत्र शेराराम 5
जीयोदेवी पत्नी शेराराम जाति जाट निवारी खेतावास
शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128.111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :-72/2018 दिनांक-06.06.2018

आदेश


उपर्युक्त प्रकरण मौजा खेतावास पटवार क्षेत्र शिवकर के खसरा नम्बर 859/532 रकबा 15.03 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्यवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमाकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।




क्रमांक - सीडर/2018/1378-03

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी शिवकर तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी शेराराम पुत्र कालूराम जाति जाट निवारी खेतावास, शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी पदमाराम पुत्र पन्नाराम वगैरह जाति जाट निवारी खेतावास, शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर।


(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

दिनांक- 20/06/18


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर